पटना समाहरणालय, पटना।

फोन नं० 0612–2219116(का०)
फैक्स नं०–0612–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–34(स०अनु०)/आ०प्र०, दिनांक 09.05.16 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02– बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0002– खाद्यान की आपूर्ति विपत्र कोड–एन2245021010002 मद में 50,58,000.00 (पचास लाख अन्ठावन हजार) रूपये का प्राप्त आवंटन को निम्नरूपेण सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला को उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष–2016–17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लघुशीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0002–खाद्यान की आपूर्ति

मांग संख्या–39 यूनिट कोड–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा

क्र०	अंचलाधिकारी का नाम	प्रभावित परिवारों की संख्या	मद का नाम		
			पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	अंचलाधिकारी, पटना सदर	150	-	450000.00	450000.00
2	अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ	10	-	30000.00	30000.00
3	अंचलाधिकारी, सम्पतचक	8	-	24000.00	24000.00
4	अंचलाधिकारी, दानापुर	946	-	2838000.00	2838000.00
5	अंचलाधिकारी, मनेर	50	-	150000.00	150000.00
6	अंचलाधिकारी, बिहटा	30	-	90000.00	90000.00
7	अंचलाधिकारी, नौबतपुर	20	-	60000.00	60000.00
8	अंचलाधिकारी, बिक्रम	15	-	45000.00	45000.00
9	अंचलाधिकारी, पालीगंज	20	-	60000.00	60000.00
10	अंचलाधिकारी, दुल्हिन बाजार	10	-	30000.00	30000.00
11	अंचलाधिकारी, मसौढ़ी	50	-	150000.00	150000.00
12	अंचलाधिकारी, पुनपुन	30	-	90000.00	90000.00
13	अंचलाधिकारी, धनरूआ	19	-	57000.00	57000.00
14	अंचलाधिकारी, फतुहाँ	50	-	150000.00	150000.00
15	अंचलाधिकारी, दनियावाँ	15	-	45000.00	45000.00
16	अंचलाधिकारी, खुशरूपुर	50	-	150000.00	150000.00
17	अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर	88	-	264000.00	264000.00
18	अंचलाधिकारी, अथमलगोला	20	-	60000.00	60000.00
19	अंचलाधिकारी, बेलछी	15	-	45000.00	45000.00
20	अंचलाधिकारी, बाढ़	35	-	105000.00	105000.00
21	अंचलाधिकारी, पण्डारक	20	-	60000.00	60000.00
22	अंचलाधिकारी, मोकामा	25	-	75000.00	75000.00
23	अंचलाधिकारी, घोसवरी	10	-	30000.00	30000.00
	कुल योग	**1686**	-	**5058000.00**	**5058000.00**

(1) इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष–2016–17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0002–खाद्यान के लिए नगद अनुदान, मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

C:\Users\Compaq\Desktop\Adesh.docx58

फोन न० 0612–2219116(का०)
फैक्स न०–0612–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

पटना समाहरणालय,
पटना।

(2) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं की जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी हीं जिम्मेवार होंगे।

(3) आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक–**1432**/आ0प्र0, दिनांक 04.04.2016 एवं **1642**/आ0प्र0, दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) आवंटित की गई सहाय्य अनुदान की राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक **15.03.2017** तक शीघ्र भेज दिया जाय।

(5) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रीम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

(6) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(7) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक–**2561(वि0)(2)**, दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(8) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हीं जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

अनुलग्नक–आवंटन पत्र की प्रति।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 354 /आ0प्र0, दिनांक 13.05.16

प्रतिलिपिः– संबंधित अंचलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/सभी उप कोषागार पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक–34(स0अनु0)आ0प्र0, दिनांक–09.05.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।

C:\Users\Compaq\Desktop\Adesh docx59

27